18-12-19

वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-1-20 को पेश हो।

23.12.19

वकील वादी द्वारा मूल वाद पत्र में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को विड्रा करने हेतु निवेदन किया। चूंकि मूल वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहने पर मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद खारिज होने पर इस प्रकरण का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः प्रकरण को दायरा नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे। पत्रावली मूल वाद के संलग्न रहे।

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.12.31 11:07:17 IST
Reason: SelfAttested